

26/10/2020 पत्रावली पेश हुई पीठारीन अधिकारीज  
 निर्वाचन कार्य - अन्याय कार्य -  
 में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना  
 में दिनांक 28.01.2021 को पेश हो  
 80

24/12/2020

मूल वाद में अधिवक्ता वादीगण द्वारा  
 पत्रावली तलब कराये जाने से यह  
 पत्रावली भी वाद से ~~बाद~~ पेश हुई।  
 अधिवक्ता पक्षी द्वारा Note press  
 कर प्रकरण में जाने कोर्ट कार्यालय  
 नहीं चली गई है। अधिवक्ता पक्षी  
 द्वारा प्रकरण में कोर्ट कार्यालय नहीं  
 चले से व मूल वाद का निरन्तरण  
 हो जाने से यह प्रकरण इसी स्टेज  
 पर खारीज रिया जाता है। पत्रावली  
 फॉरवर्ड शुभत के कर माफ से  
 कर है। निष्पत्ति खुले न्यायालय के  
 सुनाने गया।

Note  
 Press  
 2/12/20



सहायक कलक्टर  
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
 जिला-राजसामन्द